राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 0131/2016

नाथू लाल दरिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–2) राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत, शिक्षा संकुल, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, रमेश मार्ग सी–स्कीम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : .....

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. बैग, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–3 के पद पर दिनांक 08.03.1989 को हुई थी। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.1994 के द्वारा दिनाक 01.04.1994 से स्थाई किया गया। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.09.1998 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ वर्ष 1990 एवं 1991 में नियुक्त कार्मिकों को अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति दी गई तथा अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गई । अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 1260/2000 दायर की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 14.11.2002 द्वारा अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को तीन माह में अध्यापक ग्रेड–3 के पद पर पदोन्नति देने के आदेश दिए गए। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.11.2002 (अनुलग्नक–5) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पदोन्नति प्रदान करने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.05.2004 (अनुलग्नक–8) के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–2 संस्कृत के पद पर वर्ष 1997/1998 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2014 (अनुलग्नक–11) के द्वारा

वर्ष 2012–2013 की रिक्ति के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड–1 (साहित्य) के पद पर पदोन्नत किया जाकर पदस्थापित किया।

प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से कनिष्ठ 9 कार्मिकों को अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नत किया गया है। अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता के संबंध में संशोधित अधीनस्थ राजस्थान संस्कृत शिक्षा नियम 1978 की अधिसूचना दिनांक 10.06.2008 को जारी की गई अर्थात उक्त नियम 10.06.2008 से लागू हुए है। अपीलार्थी की पदोन्नति तत्समय धारित योग्यता के आधार पर वर्ष 2004 में हुई थी। उक्त नियम पूर्ववर्ती दिनांक से लागू नहीं किये जा सकते।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड–2 की वर्ष 1997–1998 से 2006–2007 तक की पदोन्नति दिए जाने हेतु रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया जिसके के द्वारा वर्ष 1997–1998 में अपीलार्थी के स्थान पर श्री हुकुम सिंह (सामान्य) को चयनित किया गया। अपीलार्थी को 15 वर्ष पश्चात पदावनत किया जा रहा जो न्याय के सिद्वान्त के विरूद्ध है।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.08.2015 को आयोजित रिव्यू डीपीसी के कार्यवाही विवरण को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किए जाने का निवेदन किया तथा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–3 के पद पर पदावनत नहीं किए जाने तथा वर्ष 1997–1998 के स्थान पर वर्ष 1995–1996 की रिक्ति में पदोन्नत किया जावे तथा अपीलार्थी से अध्यापक ग्रेड–1 के पद पर वेतन आहरित हुआ है में से कोई वसूली न की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2013 के विरूद्ध राज्य सरकार/विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में ए.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7274/2014 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम श्री भुवनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी व अन्य दायर की गयी। उक्त अपील में एवं बहस के समय यह तथ्य प्रस्तुत किये गये कि श्री लालचन्द खैरवा जिनकी योग्यता बी.ए. संस्कृत एवं बी.एड. है कि पदोन्नति नियम से अन्यथा जाकर कर दी गयी थी जिसे आधार बनाकर अपीलार्थी श्री नाथूलाल दरिया ने माननीय अपील अधिकरण में स्वयं को श्री खैरवा के समान योग्यता यथा बी.ए. संस्कृत बी.एड. होने के कारण द्वितीय श्रेणी शिक्षक संस्कृत पद पर पदोन्नति की मांग रखी गयी। विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया था कि श्री लालचन्द खैरवा एवं अपीलार्थी श्री नाथूलाल दरिया के अतिरिक्त बी.ए. संस्कृत बी.एड. योग्यताधारी तृतीय श्रेणी शिक्षक को द्वितीय श्रेणी शिक्षक संस्कृत पद पर पदोन्नति नहीं दी गयी है। श्री लालचन्द खैरवा की सेवा नियमों से अन्यथा जाकर त्रुटिवश की गयी डीपीसी एवं

श्री खैरवा को आधार बनाकर समान योग्यता के आधार पर माननीय अपील अधिकरण से डीपीसी की प्रार्थना करने वाले अपीलार्थी श्री नाथूलाल दरिया की डीपीसी को दिनांक 10.08.2015 को वर्ष 2006–2007 तक द्वितीय श्रेणी शिक्षक संस्कृत विषय की पदोन्नति को रिव्यू किया गया है, वर्ष 2007–2008 से 2011–2012 तक उक्त विषय की पूर्व में की गयी डीपीसी प्रक्रियाधीन है। माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7274/2014 में अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2013 को अपास्त करके अपना निर्णय दिनांक 25.08.2015 पारित किया। माननीय न्यायालय को श्री लालचन्द खैरवा अपीलार्थी श्री नाथूलाल दरिया की विभागीय नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर वर्ष 2006–2007 तक की गई रिव्यू डीपीसी दिनांक दिनांक 10.08.2015 से अवगत कराया गया था। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश के बिन्दु संख्या 10 व 30 पर इसका स्पष्ट अंकन किया है व रिव्यू डीपीसी दिनांक 10.08.2015 को सेवा नियमानुसार सही माना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 के अनुसार ही अपीलार्थी की रिव्यू डीपीसी वर्ष 2007 से आगे के वर्षों की किया जाना प्रक्रियाधीन है। अभिलेखानुसार अपीलार्थी द्वारा अर्जित योग्यता बी.ए. हिन्दी संस्कृत एवं राज. विज्ञान के आधार पर ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक हिन्दी पद की पात्रता रखते है। अतः अपीलार्थी को पात्रता एवं वरियता के आधार पर द्वितीय श्रेणी शिक्षक हिन्दी के पद पर पदोन्नति किया जाना प्रक्रियाधीन है, अपीलार्थी द्वितीय श्रेणी शिक्षक संस्कृत पर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर रिव्यू डीपीसी की जा रही है। उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। इस कारण से अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य है, जिसको निरस्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब का अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा पत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति वर्ष 1997–1998 की रिक्ति के विरूद्ध 2004 में राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1978 में पदोन्नति हेतु वांछित योग्यता के तहत हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1978 में अधिसूचना दिनांक 10.06.2008 के द्वारा अध्यापक ग्रेड–2 के पदोन्नति हेतु वांछित योग्यता में संशोधन स्नातक (संस्कृत) शास्त्री निर्धारित की गई थी। उक्त अधिसूचना को पूर्ववर्ती दिनांक से लागू नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण द्वारा भूनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी द्वारा दायर याचिका में पारित आदेश दिनांक 08.11.2013 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 7274/2014 दायर की गई थी में पारित आदेश

दिनांक 25.08.2015 द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2013 को अपास्त कर दिया गया था इसके विरूद्ध भूनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में डी.वी. स्पेशल संख्या 986/2015 दायर की इसमें पारित आदेश दिनांक 26.10.2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 को अपास्त किया जाकर अधिकरण आदेश के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय माननीय अधिकरण के विरूद्ध उच्च न्यायालय में दायर अपील 7274/2014 में प्रस्तुत किए गए जवाब के अनुसार ही अध्यापक ग्रेड–2 के पदो पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.08.2015 को आयोजित की गई जबकि माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 25.08.2015 को पारित हुआ था। इस प्रकार दिनांक 10.08.2015 को अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का पूनर्वालोकन 12 वर्ष पश्चात किया गया जो नियमानुसार नहीं है। अतः अपास्त किया जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–3 के पद पर दिनांक 08.03.1989 को हुई थी। आदेश दिनांक 29.05.2004 (अनुलग्नक–8) के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–2 संस्कृत के पद पर वर्ष 1997–1998 की रिक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1260/2000 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2002 की पालना में पदोन्नत किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2014 (अनुलग्नक–11) के द्वारा वर्ष 2012–2013 की रिक्ति के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड–1 (साहित्य) के पद पर पदोन्नत किया जाकर पदस्थापित किया।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण में श्री गजानंनद त्रिवेदी एवं अन्य द्वारा दायर अपील संख्या 02 से 11 एवं 105/09 एवं 467/05 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2013 के विरूद्ध भूनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी द्वारा दायर याचिका में पारित आदेश दिनांक 08.11.2013 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 7274/2014 दायर की गई थी में पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2013 को अपास्त कर दिया गया था इसके विरूद्ध भूनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में डी.वी. स्पेशल संख्या 986/2015 दायर की इसमें पारित

आदेश दिनांक 26.10.2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 को अपास्त किया जाकर अधिकरण आदेश के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। संशोधित अधीनस्थ राजस्थान संस्कृत शिक्षा नियम 1978 की अधिसूचना दिनांक 10.06.2008 स्नातक (संस्कृत) शास्त्री निर्धारित की गई अर्थात उक्त नियम 10.06.2008 से लागू हुए है। उक्त अधिसूचना को पूर्ववर्ती दिनांक से लागू नहीं किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय माननीय अधिकरण के विरूद्ध उच्च न्यायालय में दायर अपील 7274/2014 में प्रस्तुत किए गए जवाब के अनुसार ही अध्यापक ग्रेड–2 के पदो पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.08.2015 को आयोजित की गई जबकि माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 25.08.2015 को पारित हुआ था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर वर्ष 1997–1998 की रिक्ति के विरूद्ध वर्ष 2004 में दी गई पदोन्नति को भी पूनर्वालोकन 12 वर्ष पश्चात किया गया है जो नियमानुसार नहीं है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7274/2014 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 के विरूद्ध भूनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में डी. वी. स्पेशल संख्या 986/2015 दायर की इसमें पारित आदेश दिनांक 26.10. 2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 को अपास्त किया जाकर अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2013 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वर्ष 1997–1998 की रिक्ति के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर दी गई पदोन्नति एवं वर्ष 2014 में अध्यापक ग्रेड–1 के पद पर दी गई पदोन्नति को निरस्त नहीं किया जावे। तथा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–1 के पद पर निरंतर कार्य करना सुनिश्चित करे।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य